

प्रगति प्रतिवेदन

2014–2015



राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.

प्रगति प्रतिवेदन

2014–2015



अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं.
	निदेशक मण्डल	
1.	प्रसारण निगम के मुख्य दायित्व	
2.	योजनावार पूँजीगत व्यय	
3.	योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय एवं भौतिक उपलब्धियां	
4.	विचाराधीन एवं अन्य विद्युत उत्पादन योजनायें (भागीदारी एवमं निजी क्षेत्र)	
5.	विद्युत उत्पादन क्षमता	
6.	विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम	
7.	ऊर्जा उपलब्धि, वितरण कम्पनियों द्वारा ली गयी ऊर्जा एवं प्रसारण क्षति	
8.	निगम में नियोजित कर्मचारी	
9.	निगम का संगठनात्मक चार्ट	
10.	चरम मांग	

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण
निगम लिमिटेड

कम्पनी – निदेशक मण्डल

श्री संजय मल्होत्रा, आई.ए.एस.

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

श्री सिद्धार्थ महाजन, आई.ए.एस.

निदेशक

श्री ए. के. गुप्ता

निदेशक (वित्त)

श्री आर. पी. बरवड़

निदेशक (संधारण)

श्री डी.पी. गुप्ता

निदेशक (तकनीकी)

श्री विजय माथुर

कम्पनी सचिव

1. प्रसारण निगम के मुख्य दायित्व

1.1 इस कम्पनी के मुख्य दायित्व निम्न प्रकार से हैं :

- i) 765के.वी., 400 के.वी., 220 के.वी. व 132 के .वी . विद्युत प्रसारण लाइनों एवं सब-स्टेशनों का निर्माण, परिचालन एवं संचालन सम्बन्धित कार्य ।
- ii) ऊर्जा के व्हीलिंग एवं तंत्र संचालन सम्बन्धित कार्य ।
- iii) विद्युत सम्बन्धित सूचना और आंकड़ों का संकलन, अध्ययन एवं अन्वेषण, आधुनिकीकरण आदि के लिए अध्ययन एवं सुधारात्मक प्रयासों को लागू करना ।

1.2 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी होने के कारण केन्द्रीय विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विद्युत क्रय-विक्रय का कार्य नहीं कर सकता । इसलिये रा.रा. विद्युत उत्पादन निगम, पवन ऊर्जा संयंत्र, केप्टिव पावर प्लांट, केन्द्रीय विद्युत गृहों, विद्युत क्रय-विक्रय केन्द्रों एवं अन्य स्रोतों से विद्युत खरीद एवं विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, प्रसारण, वितरण, आपूर्ति एवं व्हीलिंग में लगी हुई विभिन्न कम्पनियों तथा संस्थानों से ऊर्जा क्रय तथा ऊर्जा विक्रय अनुबन्धों का निष्पादन, समन्वय एवं सलाह का जो कार्य प्रसारण निगम करता आ रहा था, वह कार्य अप्रैल, 2004 से राज्य की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को स्थानान्तरित कर दिया गया है । विद्युत वितरण कम्पनियां एक केन्द्रीय सेल, राजस्थान डिस्कॉम्स पावर प्रोक्योरमेन्ट सेन्टर (आर.डी.पी.पी.सी.), के माध्यम से यह कार्य कर रही हैं ।

2. योजनावार पूँजीगत व्यय

2.1 विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत क्षेत्र को पूँजीगत कार्यो हेतु अधिक से अधिक धन राशि उपलब्ध करवाई गयी । प्रसारण क्षति को कम कर उपलब्धता बढ़ाने तथा उच्च गुणवत्ता की विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रसारण तंत्र को मजबूत करने की दिशा में प्रयास जारी रहे, तदनु रूप पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत एक बड़ा भाग प्रसारण तंत्र मद में खर्च किया गया ।

2.2 पंचवर्षीय योजनावार प्रसारण तंत्र मद में पूँजीगत व्यय :

क्र. सं.	योजना	विद्युत क्षेत्र हेतु योजना आवंटन (करोड़ रु.)	प्रसारण तंत्र मद में पूँजीगत व्यय (करोड़ रु.)
1	छठी योजना	641	135
2	सातवीं योजना	1069	209
3	वार्षिक योजना (1990-91)	276	62
4	वार्षिक योजना (1991-92)	335	70
5	आठवीं योजना	3913	883
6	नवीं योजना	6000	1047
7	दसवीं योजना	7777 (उक्त में से प्रसारण निगम हेतु 2145 करोड़ रुपये)	1872
8	ग्यारहवीं योजना	25590(उक्त में से प्रसारण निगम हेतु 4600*करोड़ रुपये)	7151.57 (मार्च, 2012तक)
9	बारहवीं योजना	71313.25(उक्त में से प्रसारण निगम हेतु 12600करोड़ रुपये)	5627.819 (प्रोविजनल) (दिसम्बर,2014तक)

*इसमें संक्रमण काल अवधि के दौरान दी जाने वाली नकद सहायता राशि 2000 करोड़ रु. सम्मिलित नहीं है।

2.3 वर्ष 2013-14 व 2014-15 के लिये प्रसारण मद में पूँजी व्यय की तुलनात्मक स्थिति :
(करोड़ रु.)

क्र सं.	विवरण	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15
1	योजना प्रावधान	1633.11	1830.00
2	गैर योजना प्रावधान	113.05	41.59
3	कुल प्रावधान	1746.16	1871.59
4	कुल व्यय (प्रोविजनल)	1924.95	1411.92 (दिसम्बर,2014 तक)

3. योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय एवं भौतिक उपलब्धियाँ

3.1 पूँजी निवेश :

वर्ष 2014-15 में, राज्य की वार्षिक योजना में प्रसारण निगम के कार्यों हेतु 1830 करोड़ रु. के आवंटन तथा कुल योजनागत एवं गैर योजनागत 1871.59 करोड़ रु. के प्रारम्भिक बजट अनुमानों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2014 तक 1411.92 करोड़ रु. का व्यय हुआ है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

(करोड़ रूपयों में)

मद	आवंटन/प्रावधान वर्ष 2014-15			कुल व्यय (प्रोविजनल) (दिसम्बर, 2014तक)		
	योजनागत	गैर योजनागत	कुल	योजनागत	गैर योजनागत	कुल
1.उत्पादन (सर्वे एवं जांच कार्य सहित)	20.00	—	20.00	6.00	—	6.00
2. प्रसारण एवं अन्य	1810.00	41.59	1851.59	1405.92	—	1405.92
योग	1830.00	41.59	1871.59	1411.92	—	1411.92

3.2. भौतिक लक्ष्य :

वर्ष 2014-15 के दौरान उच्च प्रसारण कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि निम्न प्रकार है :-

मद	इकाई	वर्ष 2014-15	
		लक्ष्य	वर्षान्तर उपलब्धि (दिसम्बर,2014 तक)
क. लाईन कार्य			
765 के.वी.	परिपथ कि.मी.	—	—
400 के.वी.	परिपथ कि.मी.	300	—
220 के.वी.	परिपथ कि.मी.	1000	718.476
132 के.वी.	परिपथ कि.मी.	600	219.250
ख. नये सब-स्टेशन:			
765 के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	2 / 3000	—
400 के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	1 / 315	—
220 के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	8 / 920	2 / 420*
132 के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	20 / 600	4 / 250**
ग.पुराने सब-स्टेशनों का क्षमता परिवर्द्धन	एम.वी.ए.	2125	1612.50
घ. कैपेसिटर बैंक	एम.वी.ए.आर.	150	—

* योजनान्तर्गत,निर्माणाधीन/नवीन 400 के.वी. ग्निड सब-स्टेशन भाडला पर 220/132 के.वी के एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की 160 एम.वी.ए. क्षमता सहित ।

** योजनान्तर्गत,निर्माणाधीन/नवीन 220के.वी. ग्निड सब-स्टेशन आउ एवं बैथवासिया पर कमश: 132/33 के.वी के 25एम.वी.ए. क्षमता के एक-एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर सहित ।

3.3 उच्च प्रसारण क्षमता की योजनावार प्रगति :

मद	इकाई	नवीं योजना (2001-2002) के अन्त में	दसवी योजना (2006-2007) के अन्त में	ग्यारहवीं योजना (2011-2012) के अन्त में	बारहवीं योजना		
					(2012-2013) के अन्त में	(2013-2014) के अन्त में	(2014-2015) (दिसम्बर,14) के अन्त में
क. उच्च प्रसारण लाइनें:							
765के.वी.	परिपथ कि.मी.	—	—	—	—	425.50	425.50
400के.वी.	परिपथ कि.मी.	286.98	620.18	2904.79	3019.00	3278.36	3278.36
220के.वी.	परिपथ कि.मी.	6923.10	8418.25	11143.09	11805.46	12235.83	12954.30
132के.वी.	परिपथ कि.मी.	10562.40	12016.25	14315.41	14781.00	15154.24	15373.49
66के.वी.	परिपथ कि.मी.	303.06	—	—	—	—	—
ख. ग्रिड सब स्टेशन:							
400के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	2 / 1380	4 / 2955	9 / 4845	9 / 5475	9 / 6420	9 / 6735
220के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	42 / 8005	54 / 10405	80 / 18425	86 / 19815	93 / 22105	95 / 23115
132के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	197 / 8294	259 / 11829.5	329 / 21202.5	348 / 23222	360 / 24723.5	362 / 25681
66 के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	1 / 40	— / 32	—	—	—	—

3.4. चालू वित्तीय वर्ष की भौतिक उपलब्धियों :

आलोच्य वर्ष में दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण की गयी नयी उच्च प्रसारण लाइनों, चालू किये गये नये ग्रिड सब-स्टेशनों तथा ग्रिड सब-स्टेशनों की क्षमता परिवर्द्धन संबंधी पूर्ण विवरण निम्नानुसार है :

3.4.1 नयी उच्च प्रसारण लाइनें :

विवरण	परिपथ एक/ दो	लम्बाई (परिपथ कि.मी.)	पूर्ण किये जाने की तिथि
220 के.वी. लाइनें			
1. लीलो, विद्यमान 220के.वी. सिंगल सर्किट दौसा-अलवर लाइन का, 400के.वी ग्रिड सब-स्टेशन अलवर पर।	दो	9.188	20.08.2014
2. लीलो, विद्यमान 220के.वी. सिंगल सर्किट मंडावर-मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र,अलवर लाइन का, 400के.वी ग्रिड सब-स्टेशन अलवर पर।	दो	0.668	13.08.2014
3. लीलो, 220के.वी. दूनी-सेज(SEZ)लाइन का, पी.जी.सी.आइ.एल. 400 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन जयपुर (दक्षिण) पर।	दो	55.420	16.10.2014
4. लीलो, 220के.वी. देबारी-बांसवाड़ा लाइन का, 220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन मादरी पर।	दो	33.770	21.04.2014
5. लीलो, 220के.वी. भीलवाड़ा-बाली लाइन का, 220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बामन का टुकड़ा पर।	दो	25.940	02.06.2014
6. लीलो, 220के.वी. अजमेर-ब्यावर लाइन का, 400 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन अजमेर पर।	दो	38.060	29.06.2014
7. लीलो, 220के.वी. बीकानेर-रतनगढ़(400के.वी)लाइन का, 220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बादनूं पर।	दो	42.152	06.05.2014
8. 220के.वी. डबल सर्किट सैक्शन, 220के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन भवाद से भोपालगढ़ (शेष भाग 220के.वी.डबल सर्किट जोधपुर-भवाद-भोपालगढ़ लाइन का)	दो	93.230	25.09.2014
9. 400 के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन बाड़मेर -एम पी टी ऑफ मै.केयर्न इंडिया(मै.केयर्न का डिपोजिट कार्य)	एक	23.186	03.10.2014
10. रामगढ़(गैस टरबाइन पावर प्रोजेक्ट) -चांदन	दो	194.284	27.12.2014
11. चांदन-डेचू	दो	202.578	27.12.2014
योग:		718.476	
132 के.वी. लाइनें :			
1. केबल, 220के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन इन्दिरा गांधी नगर,जयपुर से 132 के.वी.	एक	8.464	02.04.2014

ग्रिड सब स्टेशन एम.एन.आई.टी,जयपुर(जी आई एस)			
2. लीलो, 132के.वी. दौसा-लालसोट लाइन का, 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन नांगल प्यारीवास पर।	दो	5.514	05.07.2014
3. चौमूं-जाटावाली	एक	14.359	12.11.2014
4. लालसोट-बागड़ी	एक	21.100	31.12.2014
5. भादोती- बागड़ी	एक	36.200	31.12.2014
6. लीलो, 132के.वी.सिंगल सर्किट कांकरोली-सापोल लाइन का, 220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बामन का टुकड़ा पर।	दो	18.922	07.04.2014
7. लीलो, 132के.वी. सलूंबर-सागवाड़ा लाइन का, 220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन आसपुर पर।	दो	23.668	30.05.2014
8. मादरी-डकन कोटड़ा	एक	10.160	09.10.2014
9. लीलो, 132के.वी. ब्यावर-मेड़ता लाइन का, 220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन जेठाना पर।	दो	32.610	09.12.2014
10. लीलो, 132के.वी. अजमेर-सराधना लाइन का, 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन सुभाषनगर पर।	दो	0.826	16.12.2014
11. डीडवाना(400के.वी.)- डीडवाना(132के. वी.) के मध्य अन्तर्सम्बन्ध	दो	8.978	17.12.2014
12. अन्डर ग्राउन्ड केबल, लीलो पाइन्ट ऑफ 132के.वी.जोधपुर-पी.एस.8 लाइन 132 के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन सी.एच.बी. जोधपुर को।	दो	7.940	11.06.2014
13. अन्डर ग्राउन्ड केबल, 132 के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन सी.एच.बी.जोधपुर-132 के. वी.ग्रिड सब-स्टेशन प्रतापनगर (जी आई एस)जोधपुर	दो	10.160	11.06.2014
14.तहेनदेसर-परेवारा	एक	19.003	15.06.2014
15. लीलो, विद्यमान 132 के.वी. सिंगल सर्किट आउ-फलौदी लाइन का प्रस्तावित 220 के.वी ग्रिड सब-स्टेशन आउ पर।	दो	1.346	30.07.2014
योग:		219.250	

3.4.2 नये ग्रिड सब-स्टेशन तथा विद्यमान स्टेशनों का क्षमता परिवर्द्धन :

ग्रिड सब-स्टेशन का नाम	वोल्टेज अनुपात(के.वी./के.वी.)	क्षमता (एम.वी.ए.)	चालू करने की दिनांक
अ. नवीन ग्रिड सब-स्टेशन :			
220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन :			
1. मादरी(अपग्रेडेड)	220 / 132	100	21.04.2014
2. बादनू(अपग्रेडेड)	220 / 132	160	06.05.2014
योग:		260	
132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन :			
1. एम एन आई टी (जी आई एस)	132 / 33	40 / 50	02.04.2014
2. प्रतापनगर (हाईब्रिड जी आई एस)	132 / 33	2X 40 / 50	12.06.2014
3. सुभाषनगर	132 / 33	20 / 25	17.12.2014
4. बागड़ी	132 / 33	20 / 25	31.12.2014
योग:		200	
निर्माणाधीन/नवीन 400 एवं 220 के.वी.ग्रिड सब-स्टेशनों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, योजनान्तर्गत			
220के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन आउ	132 / 33	20 / 25	31.07.2014
220के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बैथवासिया	132 / 33	20 / 25	26.12.2014
निर्माणाधीन/नवीन 400के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, योजनान्तर्गत			
भादला	220 / 132	160	09.08.2014
क्षमता परिवर्द्धन :			
400 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन			
1. बाड़मेर	400 / 220	315	25.09.2014
220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन			
1.बूंदी	220 / 132	100	02.04.2014
2. चाकसू	132 / 33	20 / 25(-)10 / 12.5	18.08.2014
3. नदबई	132 / 33	20 / 25	15.12.2014
	132 / 33 / 11	(-)12.5 / 7.5 / 5.5	
4. भीलवाड़ा	132 / 33	20 / 25(-)10	17.05.2014
5.नागौर	132 / 33	40 / 50(-)20 / 25	04.09.2014
6.सीकर	220 / 132	160(-)100	02.10.2014
7.हनुमानगढ़	220 / 132	160(-)100	07.05.2014
8.नोखा	220 / 132	160(-)100	29.05.2014
9.भादरा	220 / 132	50	05.09.2014
10.पदमपुरा	220 / 132	100	29.09.2014
11.गजनेर	220 / 132	160	20.11.2014
12.आउ	132 / 33	20 / 25	29.12.2014

132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन :			
1.निवाई	132 / 33	20 / 25(-)10 / 12.5	09.04.2014
2.बयाना	132 / 33	40 / 50(-)20 / 25	17.05.2014
3.पीनन	132 / 33	20 / 25	21.05.2014
4.मंडान	132 / 33	20 / 25(-)10 / 12.5	04.06.2014
5.गोविन्दगढ़	132 / 33	40 / 50(-)20 / 25	07.06.2014
6.हिंगोनिया	132 / 33	20 / 25(-)10 / 12.5	19.06.2014
7.राजाखेड़ा	132 / 33	20 / 25(-)10 / 12.5	27.06.2014
8.थानागाजी	132 / 33	10 / 12.5	12.07.2014
9.अन्ता	132 / 33	20 / 25(-)14.6 / 20	22.07.2014
10.अकलेरा	132 / 33	20 / 25(-)10 / 12.5	23.07.2014
11.करौली	132 / 33	40 / 50(-)20 / 25	27.09.2014
12.टौक	132 / 33	40 / 50(-)10 / 12.5	29.09.2014
13. नैनवा	132 / 33	20 / 25	08.11.2014
14.बरोली	132 / 33	10 / 12.5	21.11.2014
15.तालेरा	132 / 33	20 / 25	26.11.2014
16.चंपापुरा	132 / 33	20 / 25	12.12.2014
17. रीको रिंगस	132 / 33	20 / 25	08.05.2014
18.नांगली	132 / 33	20 / 25	20.06.2014
19.नवलगढ़	132 / 33	40 / 50(-)20 / 25	23.06.2014
20.भटेवर	132 / 33	20 / 25(-)10 / 12.5	25.06.2014
21.नारवा	132 / 33	20 / 25	02.07.2014
22.दरीबा	132 / 33	20 / 25(-)10 / 12.5	08.08.2014
23.किशनगढ़	132 / 33	20 / 25(-)10 / 12.5	13.10.2014
24.गुढागोरजी	132 / 33	10 / 12.5	20.10.2014
25.लाडनूं	132 / 33	20 / 25(-)10 / 12.5	02.04.2014
26.सरदारशहर	132 / 33	20 / 25	23.04.2014
27.लोहावट	132 / 33	40 / 50(-)20 / 25	29.04.2014
28.पाटलीसर फन्टा	132 / 33	20 / 25	30.04.2014
29.भीनासर	132 / 33	20 / 25	09.05.2014
30.कोलायत	132 / 33	20 / 25	21.05.2014
31.सांगरिया	132 / 33	20 / 25(-)10 / 12.5	17.10.2014
32.गडरा रोड़	132 / 33	10 / 12.5	19.11.2014
कुल क्षमता परिवर्द्धन		1612.50	

4. विचाराधीन एवं अन्य विद्युत उत्पादन योजनायें (भागीदारी एवं निजी क्षेत्र)

4.1 भागीदारी योजना :

क. राहुघाट विद्युत परियोजना-कास्केड चम्बल पन विद्युत परियोजना :

राहुघाट परियोजना के अन्तर्गत चम्बल नदी पर करौली क्षेत्र में चार बांध बनाने व उन पर स्थापित विद्युत गृहों से कुल 270 मेगावाट(सम्भावित) विद्युत उत्पादन, राजस्थान व मध्य प्रदेश की 50:50 भागीदारी के आधार पर प्रस्तावित था। नवीनतम परिस्थिति के अनुसार संयुक्त निदेशक (वन्य जीव), भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 5 जून 2012 द्वारा मुख्य वन्य जीव संरक्षक, राजस्थान सरकार को सूचित किया है कि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एन.बी.डब्लू.एल. स्टैंडिंग कमेटी की 22वीं बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2011 में लिये गये निर्णय में राहुघाट परियोजना को भी चम्बल नदी पर स्थापित करने हेतु सिफारिश कर दी गयी है। क्योंकि वन्य जीव अभयारण्य के अन्तर्गत यह परियोजना आती है, इसलिए सर्वे एवं जांच कार्य एवं इ.आई.ए. स्टडी तथा ऐसी गतिविधियों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये उच्चतम न्यायालय की केन्द्र अधिकृत समिति को आवेदन किया गया है। इस हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत याचिका की सुनवाई दि.22.04.2013 को हुई, तथा मामले का निर्णय समिति द्वारा विचाराधीन है।

4.2 गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत नीति के तहत परियोजनायें:

(क) पवन ऊर्जा आधारित संयंत्र :

राज्य में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2000, 2003, 2004 एवं 2012 में विभिन्न पवन ऊर्जा नीतियाँ जारी की गयी। राज्य सरकार द्वारा जारी इन नीतियों के फलस्वरूप राज्य में माह दिसम्बर, 2014 तक कुल 3065.545 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त आगामी तीन वर्षों में निजी क्षेत्र की भागीदारी से 1000 मेगावाट क्षमता के अतिरिक्त संयंत्र स्थापित होने की संभावना है।

(ख) बायोमास पर आधारित परियोजनायें :

बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु बायोमास नीति 2010 जारी की गयी। इस नीति के फलस्वरूप बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों को उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में बायोमास की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इस नीति के प्रावधानों के फलस्वरूप निजी निवेशकों ने बायोमास आधारित विद्युत परियोजनायें लगाने में रुचि दिखाई है। राज्य में माह दिसम्बर, 2014 तक कुल 11 संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं तथा अन्य चार संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

(ग) सौर ऊर्जा:

राज्य में सौर ऊर्जा के माध्यम से निम्न सौर परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है :-

1. भारत सरकार की जीबीआई स्कीम के तहत 8 मेगावाट की 2 परियोजनाएं।

2. राष्ट्रीय सोलर मिशन की माईग्रेशन स्कीम में कुल 66 मेगावाट की 11 परियोजनाएँ स्वीकृत हुईं, इनमें से 35 मेगावाट क्षमता की 7 परियोजनायें से विद्युत उत्पादन हो रहा है।
3. भारत सरकार द्वारा जारी आर पी एस एस जी पी स्कीम के तहत 1- 1 मेगावाट की 12 परियोजनाएँ स्वीकृत हुई हैं एवं समस्त परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन हो रहा है।
4. राष्ट्रीय सोलर मिशन के अन्तर्गत राजस्थान को फेज-1 बेच-1 के तहत कुल स्वीकृत 100 मेगावाट क्षमता सोलर पीवी की 20 परियोजनाएँ एवं 400 मेगावाट की सोलर थर्मल की पांच परियोजनाएँ आवंटित हुई हैं इनमें से सोलर पीवी की 20 परियोजनाओं से 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है एवं सोलर थर्मल की दो परियोजनाओं से 150 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। शेष अन्य परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।
5. राष्ट्रीय सोलर मिशन के अन्तर्गत राजस्थान को फेज-1 बेच-2 के तहत कुल स्वीकृत 295 मेगावाट क्षमता सोलर पीवी की 24 परियोजनाएँ आवंटित की गईं, जिनमें से 23 परियोजनाओं से 285 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। शेष एक परियोजना का कार्य प्रगति पर है।
6. भारत सरकार की केन्द्रीय वित्तीय योजना के तहत निगम द्वारा एम.एन.आर.ई.के प्रदर्शन परियोजना के तहत 1 मेगावाट की परियोजना गांव फागी (जयपुर) में माह मार्च 2012 में स्थापित हो चुकी है। जिससे वर्ष 2011-12 में 22399, 2012-13 में 1428441, 2013-14 में 1645336 एवं 2014-15 में (माह दिसम्बर 2014 तक) 1207710 युनिट विद्युत का उत्पादन हो चुका है।
7. तृतीय पक्ष को विक्रय हेतु ओपन एक्सेस योजना में स्वीकृत एक 40 मेगावाट क्षमता की फोटोवोल्टाईक परियोजना की स्थापना मार्च 2012 में हो चुकी है एवं 150 मेगावाट क्षमता की 1 परियोजना की एसएलईसी स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
8. आरईसी मैकेनिज्म योजना में कुल 253.17 मेगावाट क्षमता की परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं, जिसमें से 208.1 मेगावाट क्षमता की 89 परियोजनाएँ स्थापित हो चुकी हैं एवं शेष का कार्य प्रगति पर है।
9. प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत 75 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टेक की सात परियोजनाओं हेतु उत्पादनकर्ताओं के साथ पॉवर परचेज एग्रीमेंट किये जा चुके हैं। इनमें से 2 परियोजनाओं से 25 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों से विद्युत उत्पादन आरम्भ हो चुका है। शेष का कार्य प्रगति पर है।

भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन 19.11.2009 को जारी किया है। जिसके तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जिसके कारण सौर पॉवर निवेशकों ने राजस्थान में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का उत्साह प्रकट किया है। अक्षय ऊर्जा में अब तक 976 कम्पनियों ने लगभग 19459.96 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाने हेतु अपने प्रोजेक्ट्स को पंजीकृत करवा लिया है।

राज्य सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह की सहायता देने को तैयार है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार सौर ऊर्जा पार्क विकसित करने जा रही है, जहाँ निवेशकर्ता को सभी तरह की मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जावेंगी।

5. विद्युत उत्पादन क्षमता

5.1 वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर राज्य की कुल उत्पादन क्षमता 14371.61 मेगावाट थी । वर्ष 2014-15 (दिसम्बर,14तक) मे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा संचालित छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना की चतुर्थ इकाई से 250 मेगावाट, कालीसिंध तापीय परियोजना से 600 मेगावाट, तथा रामगढ़.गैस परियोजना से 50 मेगावाट की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है तथा केन्द्रीय परियोजनाओं से आंवटन के अन्तर्गत रामपुर पन विद्युत गृह की प्रथम से षष्ठम इकाईयों से 31.8 मेगावाट की राज्य की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में सासन विद्युत परियोजना की तृतीय एवं चतुर्थ इकाई से 132 मेगावाट की वृद्धि हुई है। गैर पारम्परिक स्रोतों के अन्तर्गत पवन विद्युत गृहों से 267.70 मेगावाट तथा सोलर विद्युत गृहों की स्थापना से 39.10 मेगावाट की वृद्धि हुई है। इस प्रकार वर्ष 2014-15 (दिसम्बर,14 तक) राज्य की कुल उत्पादन क्षमता 15742.215 मेगावाट रही ।

5.2 राज्य को उपलब्ध उत्पादन क्षमता का स्रोतवार विवरण निम्नानुसार है :-

(मेगावाट)

स्रोत	वर्ष 2013-14की समाप्ति पर	वर्ष 2014-15 (दिसम्बर,14 तक)
1.राज्य के भागीदारी/ स्वयं द्वारा संचालित :		
क. तापीय	3840.00	4690.00
ख. पन	1011.80	1011.80
ग. गैस	553.50	603.50
योग-1	5405.30	6305.30
2.केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित एवं राज्य को आवंटित		
क. तापीय	1404.41	1404.41
ख. पन	614.41	646.22
ग. गैस	221.10	221.10
घ. आणविक	556.74	556.74
योग-2	2796.66	2828.47
3.आर.आर.ई.सी.,आर.एस.एम.एम.लि.व अन्य निजी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित:		
पवन	2797.845	3065.545
बायोमास	99.30	99.30
सोलर	480.50	519.60
तापीय	2792.00	2924.00
योग-3	6169.645	6608.445
योग(1+2+3)	14371.605	15742.215

6. विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम

6.1 विद्युत क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता पर राष्ट्रीय आम सहमति एवं न्यूनतम आवश्यक राष्ट्रीय कार्य योजना के अन्तर्गत 1998 में भारत सरकार ने विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 को कार्यान्वित किया। विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम में राजस्थान का स्थान अग्रिम श्रेणी में रहा है। विद्युत क्षेत्र में दायित्वों के विशिष्टीकरण, विकेन्द्रीकरण, स्वायत्तता तथा निर्णायक उत्तरदायित्वों को प्रोत्साहित करने, निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन, विद्युत क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में उत्तरोत्तर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, तथा क्षेत्र के प्रभावी, कार्य-कुशल एवं स्वतंत्र नियमन के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2000 को राज्य विद्युत मंडल के कार्यों का भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निम्न, उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण की तीन, अलग-अलग कम्पनियों में विभाजन कर गठित किया गया :-

1. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
2. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
3. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
4. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
5. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

6.2 राजस्थान पावर सैक्टर सुधार अधिनियम के अनुरूप, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम का कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकरण 19 जून, 2000 को हो गया तथा राज्य सरकार ने दिनांक 19 जुलाई, 2000 को आदेश जारी कर अधिनियम, 1910 की धारा 27 (बी) के तहत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एसटीयू) घोषित किया।

6.3 विद्युत अधिनियम 2003 का क्रियान्वयन :

अ. राज्य सरकार ने दिनांक 29.1.2004 को अधिसूचना द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39(1) के अधीन राज्य प्रसारण निकाय (एसटीयू) घोषित किया है।

ब. भारत सरकार द्वारा 10 जून, 2003 से विद्युत अधिनियम, 2003 लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एसटीयू (प्रसारण कम्पनी) विद्युत के क्रय विक्रय संबंधी क्रियाकलाप नहीं कर सकेगी। इसी सन्दर्भ में राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 28.2.2004 द्वारा प्रसारण निगम से 1.4.2004 से थोक प्रदाय (विद्युत क्रय विक्रय की) गतिविधि पृथक कर संबंधित अधिकार राज्य की तीनों वितरण कम्पनियों में समाहित कर दिये, तभी से राज्य की तीनों वितरण कम्पनियां अपनी आवश्यकता की विद्युत निर्धारित अलोकेशन के अनुसार सीधे केन्द्र या राज्य की उत्पादन इकाइयों से वितरण निगमों के लिए नवगठित राजस्थान डिस्कॉमस् पावर प्रोक्योरमेंट सेन्टर के माध्यम से क्रय कर रही हैं।

स. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39, 40 के अन्तर्गत राजकीय प्रसारण निकाय (एस.टी.यू.) द्वारा उपभोक्ताओं को ओपन एक्सेस के लिए प्रसारण तंत्र की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अधिनियम की धारा 42 एवं 180 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने अधिसूचना सं. 25 दिनांक 26.5.2004 द्वारा ओपन एक्सेस के विनियम जारी कर

दिये हैं । 1 एम.वी.ए. एवं इससे अधिक भार वाले उपभोक्ता 1.4.2008 से इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में निगम द्वारा राज्य नियामक आयोग के द्वारा अधिसूचित ओपन एक्सेस नियमों की पालना में दीर्घकालीन व लघुकालीन ओपन एक्सेस के लिए प्रक्रिया निर्धारित कर दी है।

6.4 विद्युत सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सलाहकार नियुक्त किये गये हैं :-

क. प्रसारण कम्पनी में आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाण पत्र :-

प्रसारण कम्पनी को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आई.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाणीकरण हेतु मैसर्स इन्टरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्रा.लि. मुम्बई को चयनित किया गया, जिसके द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में नियमानुसार रा.रा.वि.प्र.नि. के विभिन्न कार्यालयों की आडिट की गयी। तत्पश्चात् प्रसारण कम्पनी को, अन्तर्राष्ट्रीय क्वालिटी मानकों पर खरा उतरने के पश्चात् दिनांक 5जून,2008 को आई.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाण पत्र जारी किया गया। माह जून, 2009 में प्रथम सर्वेलेन्स आडिट कर मै. इन्टरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्विसेज द्वारा सफलता प्रमाण पत्र दिया गया। इसी दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मानक संस्था द्वारा स्टेण्डर्ड के नवीनीकरण कर आई.एस.ओ. 9001:2008 जारी किया गया, अतः प्रसारण निगम द्वारा भी अपने डॉक्यूमेंट, क्वालिटी मैनुअल इत्यादि का अपग्रेडेशन नवीन मानक के अनुसार किया गया व तत्पश्चात् मैसर्स इन्टरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्विसेज द्वारा द्वितीय सर्वेलेन्स आडिट आई.एस.ओ. 9001:2008 के मानकों के अनुसार की गयी तथा नवम्बर,2010 में प्रसारण निगम को आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित संस्था का प्रमाण पत्र दिया गया। मै. आई.सी.एस. द्वारा वर्ष 2014 की री-सर्टिफिकेशन ऑडिट सफलतापूर्वक करवा ली गयी है। आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाण पत्र 23 जुलाई, 2017 तक वैध है। नवीनतम मानकों के अनुसार 61 इन्टर्नल ऑडिटर्स का प्रशिक्षण करवा दिया गया एवं प्रशिक्षित ऑडिटर्स द्वारा सारे कार्यालयों की इन्टर्नल क्वालिटी ऑडिट सतत प्रक्रियाधीन है।

ख. केन्द्र सरकार की नीति (टैरिफ बेस्ड कम्पीटिटिव बिडिंग) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र से केस-1 व

केस-2 के तहत ऊर्जा क्रय करना :-

मै. पी.एफ.सी. कन्सलटिंग लि., नई दिल्ली को केस -1 व केस-2 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र से ऊर्जा क्रय हेतु निजी क्षेत्र के भागीदारों का चयन करने के लिये सलाहकार नियुक्त किया गया ।

केस-1(I) कवई (बारा) उर्जा संयंत्र (1200मेगावाट) परियोजना: बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1200 मेगावाट क्षमता की विद्युत आपूर्ति निजी क्षेत्र द्वारा किये जाने हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी। प्राप्त निविदाओं के मूल्यांकन के उपरान्त मै. अडानी पॉवर राजस्थान लि. (चयनित निर्माणकर्ता) से 1200 मेगावाट हेतु दिनांक 28.01.2010 को विद्युत क्रय अनुबन्ध निष्पादित किया गया। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 31.05.2010 के द्वारा लेवलाइज्ड टैरिफ रु. 3.2383/यूनिट को भी अपना लिया गया। उक्त संयंत्र की प्रथम यूनिट से 31.05.2013 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरु हो गया है एवं द्वितीय यूनिट से दि. 24.12.2013 से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो गया है।

केस-1(II) राज्य की वितरण कम्पनियों की ओर से 1000मे.वा. विद्युत, केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप दीर्घकालीन क्रय करने हेतु रा.रा.वि.प्र.नि. ने प्रस्ताव आमन्त्रित कर दिनांक 18.09.2012 को अवितीय प्रस्ताव खोल लिये गये हैं। अवितीय प्रस्तावों के मूल्यांकन के पश्चात् वित्तीय प्रस्ताव के आधार पर निजी कम्पनी का चयन किया जायेगा जिसके साथ वितरण निगम क्रय अनुबन्ध करेंगे। विद्युत वितरण निगमों द्वारा राज. प्रसारण निगम को दीर्घ अवधि (25 वर्ष) के लिये भारत सरकार के केस-1 टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के दिशा निर्देशों के माध्यम से 1000मे.वा. (+,-) 10% विद्युत खरीद प्रक्रिया के लिये अधिकृत किया

गया था। आर.एफ.पी. दस्तावेज विद्युत वितरण निगमों द्वारा विधिवत अनुमोदित करा कर विभिन्न निविदादाताओं को जारी किये गये थे। गैर-वित्तीय और वित्तीय निविदाओं के मूल्यांकन के पश्चात् निम्न सफल निविदादाताओं को आशय पत्र जारी किये गये:-

क्र.सं.	निविदाकर्ता	क्षमता, जिसके लिये आशय पत्र जारी किया गया(मे.वा.)	लेवलाइज्ड टैरिफ(रूपये/यूनिट)	जारी आशय पत्र का क्रं./दिनांक
1	मै. पी.टी.सी.इन्डिया लि. ,डवलपर मै.मारुति क्लीन कोल एवं पावर लिमिटेड	195+55	4.517	757 / 24.09. 2013 एवं 784 / 27.09. 2013
2	मै. पी.टी.सी.इन्डिया लि. ,डवलपर मै.डी.बी.पावर लिमिटेड	410	4.811	785 / 27.09. 2013
3	मै.लेन्को पावर लि. उत्पादन स्रोत-मै.लेन्को बबन्ध पावर लिमिटेड	350	4.892	786 / 27.09. 2013
	कुल	1010		

उपरोक्त उत्पादन कम्पनियों द्वारा वितरण निगमों से दिनांक 01.11.2013 को क्रय अनुबन्ध किये गये हैं। इस सन्दर्भ में टैरिफ अडोपशन याचिका राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष दिनांक 28.11.2013 को दायर कर दी गई है। इस पर निर्णय की कार्यवाही चल रही है।

केस-2(1) इसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र द्वारा 1320 मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन संयंत्र पूर्व में राजस्थान के छबड़ा (बारां) में प्रस्तावित था जिसे राजस्थान सरकार के आदेश द्वारा अब बांसवाडा जिले में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य के लिये एक नई कम्पनी "बांसवाडा थर्मल पावर कम्पनी लि". का पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा करा लिया गया है। कम्पनी के निदेशकों की नियुक्ति भी कर दी गयी है। कोल लिंकेज व कोल ब्लॉक आवंटन हेतु दिनांक 16.04.2009 को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय में आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा पानी का आवंटन भी कर दिया गया है। इस परियोजना हेतु 1306 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। भूमि के अधिग्रहण के लिये रु. 2.26 करोड़ (सरकारी भूमि) व रु 31.19 करोड़ (खातेदारी भूमि) राज्य सरकार के भूमि अवाप्ति अधिकारी बांसवाडा को दिये जा चुके हैं। भूमि पर चारदिवारी बनवाने का निर्णय कर कार्यवाही की जा रही है। राज्य विद्युत् नियामक आयोग के आदेश दि.11.08.2009 के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रसारण निगम द्वारा, नये आर.एफ.क्यू. जारी करने की कार्यवाही, कोयला आवंटन के पश्चात् ही किये जाने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना हेतु ईंधन आपूर्ति के लिये दिनांक 29.12.2011 को कोल ब्लॉक तथा कोल लिंकेज के लिये कोल मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को पुनः प्रार्थना की गयी है। परियोजना के लिये रेल लाईन रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाडा बनाये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.12.2012 को रेल मंत्रालय को रेलवे लाइन के निर्माण की 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध करवाने हेतु मंजूरी दे दी गयी है। रेलवे लाईन की राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली राशि (1200 करोड़ रूपये) का 50 प्रतिशत इस परियोजना के चयनित निर्माणकर्ता द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत राशि को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। इस लाइन के लिये रेलवे साइडिंग का प्लान फाइनल कर दिया गया है। दि. 07.08.2012 व 02.04.2013 की स्टेट लेवल

कार्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में चीफ सेक्रेट्री, राज.सरकार द्वारा इस कार्य की प्रोग्रेस ली गयी है। दि. 01.02.2013 को विद्युत उत्पादन निगम के साथ कोल ब्लॉक आवंटन के लिये कोयला मंत्रालय, भारत सरकार को पुनः प्रार्थना की गयी है।

केस-2(11) इसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र द्वारा 70 मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन संयंत्र राजस्थान के गुढा (पश्चिम) बीकानेर में, राजस्थान सरकार के आदेश द्वारा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिये विद्युत उत्पादक का चयन करने के लिए मैसर्स पावर फाइनेंस कारपोरेशन को कार्यादेश जारी कर दिया गया तथा पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन हेतु आर. एस.एम.एम.लि. ने सहमति प्रदान की है। पर्यावरण प्रभाव के अध्ययन के लिए पर्यावरण नियंत्रण मण्डल ने टी.ओ.आर. को दिनांक 24.06.2009 एवं पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 29.12.2011 को प्रदान की है। दिनांक 07.07.2009 को आर.एफ. क्यू जारी कर दिया गया तथा दिनांक 13.10.2009 को निविदा खोली गयी। आर.एफ. क्यू का आंकलन चयन समिति द्वारा कर, योग्य निविदाकारों को आर.एफ. पी. जारी कर दिये गये हैं। इस परियोजना के अवितीय तथा वित्तीय प्रस्तावों का आंकलन बिड एवेल्यूशन कमेटी द्वारा किया गया जिसके तहत मै. एस.पी.एम.एल. एण्ड कन्सोर्टियम को एल-1 बिडर घोषित किया गया जिसे रा.वि.प्र.नि. बोर्ड द्वारा भी अनुमोदित कर दिया गया। तदुपरान्त मै. एस.पी.एम.एल. कन्सोर्टियम को दिनांक 15.12.2011 को आशय पत्र जारी कर दिया गया है। ईंधन आपूर्ति अनुबन्ध के प्रारूप को आर.एस.एम.एम.लि. द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। आर. एस.एम.एम. एल. ने भूमि दिनांक 12.12.2012 को गुढा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड के नाम कर दी, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 08.01.2013 को हो गयी। शेयर परचेज एग्रीमेंट दि.30.05.2013 को हो चुका है एवं सफल निविदाकार गुढा थर्मल पावर कम्पनी लि. को दि. 30.05.2013 को यह परियोजना हस्तांतरित कर दी गयी। गुढा थर्मल पावर कम्पनी लि. एवं वितरण कम्पनियों के बीच पावर परचेज एग्रीमेंट दि. 26.06.2013 को हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा विद्युत उत्पादन 2016 में होना संभावित है।

केस-2(11) इसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र द्वारा गिरल इकाई 3 व 4 (2*125 मेगावाट क्षमता) का विद्युत संयंत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 15.01.2010 के तहत स्थापित किया जाना है। इस कार्य के लिये राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम को नोडल ऑथोरिटी बनाया गया है। विद्युत उत्पादक का चयन करने के लिये मैसर्स पावर फाइनेंस कारपोरेशन कंसल्टिंग लि. को सलाहकार नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के दिशा निर्देश के तहत एक नई कम्पनी "बाड़मेर थर्मल पावर कम्पनी लि."के नाम से पंजीकरण, कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, राजस्थान, जयपुर में दिनांक 05.07.2010 को हो गया है। राज्य सरकार द्वारा जल व भूमि का आवंटन कर दिया गया है। आर.एफ.क्यू निविदा प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है तथा सफल निविदा कर्ताओं को आर.एफ.पी. दिनांक 10.05.2011 को जारी कर दिया गया। ईंधन (लिग्नाइट) की सप्लाई के लिये आर.एस.एम.एम. से मॉडल एफ.एस.ए.को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया 16.08.2012 को हो गयी है। आर.एफ.पी. निविदा दिनांक 28.12.2012 को खोली गयी। मूल्यांकन के बाद तीन निविदाओं (अवितीय) में से केवल एक ही निविदा योग्य पाई गयी। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग में एकल निविदा (आर.एफ.पी.)(वितीय) खोलने की अनुमति के लिये याचिका दि. 12.03.2013 को दायर की गयी, जिसकी सुनवाई दि.10.04.2013 को की गयी। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के दि. 15.04.2013 के निर्णय में एकल निविदा पर आगे की कार्यवाही करने की अनुमति नहीं दी गयी। इसकी सूचना श्रीमान ऊर्जा सचिव, राज.सरकार को पत्र दि.03.05.2013 के द्वारा भेज दी गयी है। इस निर्णय से राज.राज्य विद्युत प्रसारण निगम के बोर्ड को 14.05.2013 को अवगत कराया गया। पत्र दि.05.07.2013 के द्वारा राज्य सरकार से दुबारा निविदा की अनुमति मांगी गयी है। ऊर्जा मंत्रालय(भारत सरकार)के दि.21.09.2013 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार थर्मल पावर स्टेशनों से बिजली खरीद प्रक्रिया DBFOT (डिजाइन,बिल्ट,फाइनेन्स,ऑपरेट,ट्रान्सफर) के आधार पर की जावेगी। तदनुसार दि.03.04.2014 को

राज्य सरकार से DBFOT के तहत री बिडींग की अनुमति मांगी गयी। यह प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

केस-2(IV) इसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र द्वारा 1000 मेगावाट क्षमता का गैस आधारित विद्युत संयंत्र राजस्थान के केशोरायपाटन (जिला-बूंदी) में राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 19.07.2010 के तहत स्थापित किया जाना है। इस कार्य के लिये राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। विद्युत उत्पादक का चयन करने के लिये मैसर्स पावर फाइनेंस कारपोरेशन कंसल्टिंग लि. को सलाहकार नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के दिशा निर्देश के तहत एक नई कम्पनी "केशोरायपाटन गैस थर्मल पावर कम्पनी लि" नाम से पंजीकरण, कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, राजस्थान, जयपुर में दिनांक 17.09.2010 को हो गया है। राज्य सरकार द्वारा शुगर मिल की (458 बीघा) भूमि का आवंटन कर दिया गया है। तथा भूमि का कब्जा दिनांक 22.06.2010 को प्राप्त कर लिया गया है। जल संसाधन विभाग द्वारा परियोजना के लिये जल का आवंटन कर दिया गया है। गैस आवंटन के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली को 26.10.2010 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। गैस ऑथोरिटी ऑफ इन्डिया से गैस सप्लाई के लिये टर्म शीट पर हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये हैं। नगर पालिका केशोरायपाटन से अतिरिक्त 23.71 हेक्टेयर भूमि खरीदी गयी जिसका भुगतान किया जा चुका है एवं भूमि कब्जे की कार्यवाही जारी है।

ग. केन्द्र सरकार की नीति (प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक निविदा)के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की

भागीदारी द्वारा प्रसारण परियोजनाओं का विकास :-

राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रसारण परियोजनाओं के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने हेतु एक राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति का गठन किया है। उक्त प्राधिकृत समिति ने इसकी पहली बैठक में प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का निर्णय किया व राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को प्रसारण सेवा प्रदाता के चयन हेतु निविदा प्रक्रिया संयोजक प्राधिकृत किया गया। उक्त प्राधिकृत समिति ने इसकी दूसरी बैठक में बूम के आधार पर निविदायें जारी किये जाने का निर्णय किया। उपरोक्त निर्णयों के अनुसार रा.रा.वि.प्र. निगम द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिये निविदायें दिनांक 27.02.2009 को जारी की व निविदा प्रलेख दिनांक 01.03.2009 को जारी किये गये। प्राप्त निविदायें दिनांक 04.11.2009 को खोली गयी। तीन प्रसारण परियोजनाओं में से दो परियोजनाओं (400 के.वी. बीकानेर- डीडवाना लाइन, 400 के.वी. हिन्दौन-अलवर लाइन व डीडवाना और अलवर पर सब-स्टेशन) हेतु आशय पत्र दिनांक 30.09.2010 को मैसर्स जी. एम.आर. एनर्जी लिमिटेड (एल-1 बोलीदाता) के पक्ष में जारी कर दिये हैं। तीसरी प्रसारण परियोजना (220 के.वी. सीकर-नवलगढ-झुंझुनू लाइन व नवलगढ सब स्टेशन) हेतु आशय पत्र दिनांक 23.02.2011 को मै.एमको लिमिटेड को जारी कर दिया गया है। पहली दो परियोजनाओं के लिये प्रसारण अनुज्ञा पत्र (ट्रांसमिशन लाइसेंस) दि. 14.08.2012 को जारी कर दिये थे तथा प्रसारण प्रशुल्क स्वीकृति

(ट्रांसमिशन टैरीफ अडप्लान) दि.30.09.2012 को दे दी गयी। तीसरी परियोजना के लिये प्रसारण अनुज्ञा पत्र (ट्रांसमिशन लाइसेंस) दि. 08.10.2013 को जारी कर दिया है तथा प्रसारण प्रशुल्क स्वीकृति (ट्रांसमिशन टैरीफ अडप्लान) दि.27.08.2013 को दे दी गयी है। तीन परियोजनाओं में से एक परियोजना (400के.वी. बीकानेर –डीडवाना लाइन व डीडवाना पर सब–स्टेशन) का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है । दूसरी परियोजना (400के.वी. हिन्दौन–अलवर लाइन व अलवर पर सब–स्टेशन) का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण होने जा रहा है। तीसरी परियोजना (220के.वी. सीकर–नवलगढ़–झुंझुनुं लाइन व नवलगढ़ पर सब–स्टेशन) का निर्माण कार्य निरन्तर प्रगति पर है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति ने दो नई परियोजनाओं (400 के.वी. बबई– जयपुर नॉर्थ लाइन, 400 के.वी. जोधपुर–उदयपुर लाइन व जयपुर नॉर्थ और उदयपुर पर सब–स्टेशन)का, प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से निजी क्षेत्र में बूम के आधार पर देने हेतु चयन किया है। 400 के.वी. जोधपुर–उदयपुर लाइन व सब–स्टेशन की निविदा 23.11.2012 को खोली जा चुकी है। इस नयी परियोजना का आशय पत्र दि. 12.07.2013 को मै. एम्को–सी.एस.पी.पी.एल. कन्सोर्टियम (एल–1 बोली दाता) के पक्ष में जारी कर दिया है तथा एस.पी.ए. एवं टी.एस.ए. का कार्य प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त लगभग 722 करोड़ रु. की तीन परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में वायबिलिटी गेप फंडिंग योजना के तहत करवाने हेतु चयन किया गया है। इसके तहत 400के.वी. बीकानेर–सीकर (169 कि.मी.) प्रसारण लाइन के कार्य हेतु निजी फर्म का चयन मार्च,2015 तक होना प्रस्तावित है। 400के.वी. सूरतगढ़ थर्मल–बीकानेर प्रसारण लाइन एवं 400के.वी. बबई–जयपुर(उत्तर) प्रसारण लाइन एवं 400 के.वी. जयपुर(उत्तर) सब–स्टेशन के कार्य हेतु सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है।

7. ऊर्जा उपलब्धि, वितरण कम्पनियों द्वारा ली गयी ऊर्जा एवं प्रसारण क्षति

7.1 राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र के अनुसार राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम राज्य में विद्युत प्रसारण एवं विद्युत के थोक प्रदाय हेतु अधिकृत किया गया था । इस हेतु उत्पादन निगम, राज्य के अन्दर विभिन्न उत्पादन गृहों, केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं, साझेदारी परियोजनाओं आदि से विद्युत प्राप्त कर विभिन्न विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत उपलब्ध कराने का कार्य मार्च,2004 तक कर रहा था। तत्पश्चात विद्युत अधिनियम,2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत अप्रैल, 2004 से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, पवन ऊर्जा संयंत्र, केप्टिव पावर प्लांट, केन्द्रीय विद्युत गृहों, विद्युत क्रय विक्रय केन्द्र व अन्य स्रोतों से विद्युत खरीद एवं विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, प्रसारण, वितरण, आपूर्ति एवं व्हीलिंग में लगी हुयी विभिन्न कम्पनियों तथा संस्थानों से ऊर्जा क्रय तथा ऊर्जा विक्रय अनुबन्धों का निष्पादन राज्य की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों राजस्थान डिस्कॉमस् पावर प्रोक्योरमेंट सेन्टर (आर.डी.पी.पी.सी.) के माध्यम से कर रही है।

7.2 पिछले वित्तीय वर्ष (2013-14) के सापेक्ष आलोच्य वर्ष में ऊर्जा उपलब्धि, विक्रय एवं प्रसारण क्षति की स्थिति निम्न प्रकार रही :

विवरण	(मिलियन यूनिट)	
	वर्ष 2013-14 (प्रोविजनल)	वर्ष 2014-15 (दिसम्बर,14तक) (प्रोविजनल)
अ. साझेदारी परियोजनाओं से ऊर्जा उत्पादन :		
क. तापीय		
1.सतपुडा	0.000	0.000
ख. पन		
1.भाखडा ब्यास परियोजना		
भाखडा	984.142	658.536
देहर	614.974	514.076
पौंग	934.627	628.220
2.चम्बल एवं इम्पोर्ट(+)/एक्सपोर्ट(-), मध्य प्रदेश को ।	832.071	404.582
योग (ख)	<u>3365.814</u>	<u>2205.414</u>
योग (अ)(क+ख)	<u>3365.814</u>	<u>2205.414</u>
(ब) विद्युत क्रय		
1. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.		
क.तापीय		
1.कोटा तापीय विद्युत गृह	8526.278	5972.276
2.सूरतगढ तापीय विद्युत गृह	8556.319	7131.802
3.धौलपुर कम्बाइन्ड साइकल पावर प्रोजेक्ट	933.069	653.647
4.गिरल लिग्नाइट तापीय पावर स्टेशन	282.994	242.224
5.राजवेस्ट	3697.012	4916.358
6. छबडा	2876.001	2821.927
7. बरसिंहसर	1252.716	869.316
8. कालीसिंध	(-)18.455	1139.638

9. वी.एस.लिग्नाइट	745.293	484.115
10.रामगढ गैस	757.463	798.705
11.अडानी पावर, कवई	3571.539	5635.376
योग-1 (क)	<u>31180.229</u>	<u>30665.384</u>
ख. पन		
1. माही	225.581	88.808
2. मांगरोल	2.362	1.881
3. लघु पन परियोजनायें	7.835	2.519
योग-1 (ख)	<u>235.778</u>	<u>93.208</u>
योग 1 (क+ख)	<u>31416.007</u>	<u>30758.592</u>
2.केन्द्र संचालित परियोजनायें एवं अन्य स्रोत		
क. तापीय		
1. सिंगरौली	2890.688	1793.464
2. रिहन्द	2319.910	1881.275
3. उंचाहार	632.333	448.978
4. दादरी तापीय	257.667	165.986
5. फरक्का एसटीपीएस(इआरइबी – एनटीपीसी स्टेशनस)	67.626	48.682
6. कहलगांव एसटीपीएस(इआरइबी – एनटीपीसी स्टेशनस)	754.198	569.982
7. झंझर	305.626	215.857
8. कोटेश्वर	136.849	82.642
9. सासन(यूएमपीपी)	245.125	1096.505
10. मूंदडा-यू.एम.पी.पी.	2627.256	1825.943
11. बिनानी इण्डस्ट्रीज(कैप्टिव पावर)	0.350	0.094
12. डी.सी.एम.लि.(डी.एस.सी.एल)(कैप्टिव पावर)	0.060	0.073
13. आदित्य सीमेंट वर्क्स(कैप्टिव पावर)	2.117	7.870
14. अम्बूजा सीमेंट(कैप्टिव पावर)	4.111	1.144
15. हिन्दुस्तान जिंक(कैप्टिव पावर)	48.793	30.334
16. बिरला व्हाइट सीमेन्ट(कैप्टिव पावर)	0.126	0.166
17. श्री सीमेन्ट लि.(कैप्टिव पावर)	333.568	101.511
18. जे.के.लक्ष्मी(कैप्टिव पावर)	0.080	0.279
19. आर.एस.डब्ल्यू.एम.एल.(कैप्टिव पावर)	0.227	0.115
20. डी.एस.सी.एल इंजेक्शन,पावर एक्सचेंज को, हानि सहित	0.001	0.000
21.राजस्थान सिंटेक्स लि.,डूंगरपुर(आर.पी.पी.सी.को विक्रय)	0.038	0.243
22. जे.के.व्हाइट सीमेन्ट(गोटन)	0.076	0.248
23. जे.के. सीमेन्ट, निम्बाहेड़ा	0.010	0.017
24. ग्रेसिम सीमेन्ट, कोटपुतली(आर.पी.पी.सी.को विक्रय)	0.632	3.408
25. सी.सी.डब्ल्यू. चितौड(आर.पी.पी.सी.को विक्रय)	0.076	0.006
26. वन्दर सीमेन्ट, निम्बाहेड़ा	3.359	1.690
27. बॉसवाडा सिंटेक्स लि.(आर.पी.पी.सी.को विक्रय)	—	—
28. आर.एस.डब्ल्यू.एम.इन्ड.(ओ.ए.)	128.920	94.159
29. आर.एस.डब्ल्यू.एम. लि.(आर.पी.पी.सी.को विक्रय)	1.927	1.824
30. हिन्दुस्तान जिंक.(ओ.ए.)	604.367	426.726
31. श्री सीमेन्ट लि.(ओ.ए.)	96.843	70.271
32. श्री सीमेन्ट लि.(ओ.ए.)कुशखेड़ा	113.974	74.192

योग-2 (क)	<u>11577.113</u>	<u>8943.684</u>
ख. पन		
1. नाथपा-झाकडी	585.816	495.310
2. सलाल	95.473	86.541
3. टनकपुर	37.320	30.757
4. चमेरा	723.016	657.743
5. उरी (एच.इ.पी.+एच.इ.पी.।।+प्रभाती।।।)	268.141	433.614
6. रामपुर	—	86.918
6. आर.एफ.एफ.	182.000	138.000
7. धौलीगंगा	31.980	66.056
8. टिहरी	330.041	185.181
9. धुलस्ती	257.249	218.195
10. एस.इ.डब्ल्यू.ए.	59.643	49.060
योग-2 (ख)	<u>2570.679</u>	<u>2447.376</u>
ग. आणविक		
1. राज. अणु विद्युत गृह	3281.458	1988.743
2. नरोरा अणु विद्युत गृह	264.734	186.748
योग-2 (ग)	<u>3546.192</u>	<u>2175.491</u>
घ. गैस		
1. अन्ता	353.028	236.827
2. औरैया	147.268	118.032
3. दादरी	278.061	185.546
योग-2 (घ)	<u>778.357</u>	<u>540.405</u>
ड. पवन ऊर्जा/सौर ऊर्जा/बायोमास		
1.आर.एस.पी.सी.एल, आर.एस.एम.एम.एवं अन्य निजी उपक्रम	<u>4994.360</u>	<u>4431.295</u>
च. अन्य स्रोत		
1.यू.आई.	(-) <u>1350.761</u>	194.271
2.बायलेटरल एनर्जी-अन्य क्षेत्र मे		
पी. टी. सी.	300.302	(-) <u>280.201</u>
पी.एक्स.आई.एल.	110.183	12.069
आई.इ.एक्स.	88.781	20.991
एन. वी. वी. एन	(-) <u>99.034</u>	(-) <u>130.285</u>
एस.सी.एल.	3.385	—
डी.एस.ओ.एल.ए.आर.पी.पी.एल.	(-) <u>69.654</u>	(-) <u>52.370</u>
मित्तल	9.928	—
पावर एक्सचेंज	2803.525	2054.541
टाटा	398.982	102.777
अडानी	1041.892	—
आर.पी.पी.सी.	—	12.491
इन्सटिंक्ट	41.435	—
जी.एम.आर.इ.टी.एल.	145.796	19.609
इ.पी.जी.एल.	2.023	—
एम.पी.पी.टी.सी.एल.	—	(-) <u>13.115</u>

3. बायलेटरल एनर्जी- क्षेत्र के भीतर		
यू.पी.पी.सी.एल.	—	(-) <u>254.066</u>
पी. टी. सी.	109.864	89.532
मित्तल	80.354	21.701
एन. वी. वी. एन	(-) <u>87.814</u>	(-) <u>125.284</u>
आर.ए.जे.एस.एन.	—	46.969
आर.पी.पी.सी.	1393.457	(-) <u>1037.140</u>
पी.एक्स.आइ.एल.	71.155	(-) <u>2.056</u>
एच.पी.पी.सी.	—	(-) <u>143.528</u>
आइ.इ.एक्स.	83.394	13.391
एस.सी.एल.टी.पी.एस.	72.993	38.351
जी.एम.आर.इ.टी.एल.	121.745	748.865
4. विक्रय विस्द्ध इंजेक्शन , पी.एक्स./आई.ई.एक्स./ट्रेडर को, 4.2 प्रतिशत राज्य के भीतर मानते हुये।	478.911	99.120
योग-2 (च)	<u>5750.843</u>	<u>1436.633</u>
योग 2 (क+ख+ग+घ+ङ.+च)	<u>29217.544</u>	<u>19974.884</u>
कुल ऊर्जा क्य योग (ब)(1+2)	<u>60633.551</u>	<u>50733.476</u>
(स) सकल ऊर्जा उपलब्धि (उत्पादन+क्य)	<u>63999.365</u>	<u>52938.890</u>
(द) ग्रिड सब- स्टेशनों पर सहायक तंत्र में प्रयुक्त ऊर्जा	(-) <u>27.409</u>	(-) <u>22.137</u>
(य) राज्य में विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा ली गयी ऊर्जा	<u>60474.746</u>	<u>50146.191</u>
(र) अन्य राज्यों तथा कामन पुल द्वारा ली गयी उर्जा एवं आर.पी.पी.सी. द्वारा मध्य प्रदेश रा.वि.मं. को विक्रय	187.899	253.427
(ल) कुल प्रसारण क्षति	3524.619	2792.700
(व) कुल प्रसारण क्षति का प्रतिशत $\{(ल\div स) \times 100\}$	5.51	5.28
(क) राज्य के भीतर प्रसारण तंत्र मे शुद्ध प्रवाह	63131.604	52374.325
(ख) राज्य के भीतर प्रसारण क्षति	2656.858	2228.134
(ग) राज्य के भीतर प्रसारण क्षति का प्रतिशत $\{(ख\div क) \times 100\}$	4.21	4.25
(घ) उत्तरी ग्रिड से ऊर्जा क्य	24950.191	15529.552
(ङ.) राज्य के बाहर प्रसारण क्षति	867.761	564.566
(च) राज्य के बाहर प्रसारण क्षति का प्रतिशत $\{(ङ.\div घ) \times 100\}$	3.48	3.64

8. नियोजित निगम कर्मचारी

प्रसारण निगम में विभिन्न पदों पर तकनीकी व गैर तकनीकी कर्मचारी कार्य करते हैं। वर्ष 2013-14 के अन्त में स्वीकृत पदों की संख्या, कार्यरत निगम कर्मचारियों की संख्या व रिक्त पद निम्न थे :

कर्मचारी श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत निगम कर्मचारियों की संख्या	रिक्त पद
1. तकनीकी :			
क. अधिकारी	1202	1048	154
ख. कनिष्ठ अभियन्ता	2329	1710	619
ग. अधीनस्थ	6638	3973	2665
योग-1	10169	6731	3438
2. गैर तकनीकी:			
क. अधिकारी	99	62	37
ख. मंत्रालयिक	1487	960	527
ग. चतुर्थ श्रेणी	599	602	-3
योग-2	2185	1624	561
सकल योग (1+2)	12354	8355	3999

